एसटीसी बोर्ड चार्टर

1.0 पृष्ठभूमि

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट शासन पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। एसटीसी के निदेशक मंडल ने 15 दिसंबर, 2010 को हुई अपनी 567वीं बैठक में इन दिशानिर्देशों को अपनाने का अनुमोदन किया है। इन दिशानिर्देशों में बोर्ड और प्रत्येक निदेशक की भूमिका और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए बोर्ड चार्टर का एक औपचारिक बयान है।

तदनुसार, बोर्ड द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2011 को हुई अपनी बैठक में यह बोर्ड चार्टर अनुमोदित किया गया है।

2.0 बोर्ड का गठन

बोर्ड का गठन समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के खंड 59 के अनुरूप होगा। इस समय निदेशक मंडल के गठन की आवश्यकताएँ निम्नवत हैं:

i) कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपरक, नामिती और स्वतंत्र निदेशकों का एक इष्टतम सम्मिश्रण होगा।

ii) सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नामिती निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 तक सीमित होगी।

iii) एसटीसी के सूचीबद्ध कंपनी होने और एक कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में होने के कारण इसके स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की कुल संख्या का कम-से-कम 50 प्रतिशत होगी।

3.0 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व और शक्तियाँ

बोर्ड मुख्य रूप से कंपनी के मामलों के कुशल प्रबंधन और अपने पणधारकों के लिए रणनीतियाँ और नीतियाँ स्थापित करके मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

बोर्ड के उत्तरदायित्वों में कंपनी के कार्य-संचालन की देखरेख करना, कानूनी एवं सांविधिक अनुपालन का मानीटरन करना और इसे उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर जोखिम प्रबंधन शामिल होंगे।

बोर्ड, एसटीसी के कार्पोरेट शासन ढाँचे की देखरेख हेतु भी उत्तरदायी होगा।

कंपनी के प्रचालनों का प्रबंधन बोर्ड के दिशानिर्देशों के तहत कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों द्वारा निर्मित ढाँचे के अंदर किया जाएगा।

3.1 कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एसटीसी का निदेशक मंडल ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने हेतु पात्र होगा, जो कि कंपनी करने के लिए प्राधिकृत है और करती है; बशर्ते यह कि बोर्ड ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके लिए वह कंपनी अधिनियम 1956 या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या ज्ञापन द्वारा या कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है या कंपनी द्वारा आम सभा में किया जाए या किया जाता है। [कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 291(1)]

3.2 बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शक्तियाँ केवल बैठकों में ही प्रयोग की जाएंगी।
[कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292(1)]:

(क) शेयरधारकों को उनके शेयरों पर भुगतान न की गई राशि के संबंध में बुलाने की शक्ति;

(कक) शेयरों की वापस खरीद को अधिकृत करने की शक्ति;

(ख) ऋणपत्र जारी करने की शक्ति;

(ग) ऋणपत्र के अलावा धनराशि उधार लेने की शक्ति;

(घ) कंपनी की निधियों का निवेश करने की शक्ति, और;

(ङ) ऋण देने की शक्ति;

बोर्ड, उक्त (ग), (घ) और (ङ) की कुछ शक्तियाँ अपनी बैठकों में संकल्प पास करके अन्य पदधारियों को दे सकता है।

3.3 बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ सीमाओं के अधीन हैं तथा वे आम सभा में कंपनी की सहमति के बिना प्रयोग नहीं की जाएँगी। [कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1)]

(क) कंपनी की अंडरटेकिंग की समग्र या पर्याप्त रूप से समग्र से बेचना, पट्टे पर देना या अन्य प्रकार से निपटान करना,

(ख) निदेशक द्वारा देय किसी ऋण का भुगतान करना, या पुनर्भुगतान हेतु समय देना,

(ग) नयास प्रतिभूतियों के अलावा निवेश करना,

(घ) धनराशि उधार लेना, जहाँ धनराशि, के साथ उधार ली जाए कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनी द्वारा पहले ही उधार ली गई धनराशियों सहित, जहाँ से धनराशियाँ उधार ली जानी हों, धनराशि उधार लेना (कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त किए गए अस्थायी ऋणों के अलावा) कंपनी की भुगतान की गई प्रदत्त पूँजी के औसत तथा इसके मुक्त आरक्षितों अर्थात् विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग किए गए आरक्षितों से अधिक होगा।

(ङ) कंपनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के कल्याण से सीधा संबंध न रखने वाली धर्मार्थ तथा अन्य निधियों में योगदान करना जिसका औसत किसी भी वित्त वर्ष में पचास हजार रुपए या इसे

निवल लाभ का 5% जैसा कि पिछले लगातार तीन वित्त वर्षों के दौरान धारा 349 और 350 के प्रावधानों के अनुसरण में निर्धारित किया गया है, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

3.4 कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा जो कंपनी की उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा उसके किसी अन्य सांविधिक संशोधन द्वारा जो प्रचलन में हों अथवा कंपनी के 'संस्था के अंतर्नियमों' द्वारा कंपनी की आम बैठकों के माध्यम से प्रयुक्त किए जाने अपेक्षित हों, इस बीच उक्त अंतर्नियमों के प्रावधानों, उक्त अधिनियम के प्रावधानों की भी और अन्य निदेशों, यदि कोई हो, की शर्त पर, जो समय-समय पर राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं तथा ऐसे विनियम जो उपर्युक्त प्रावधानों के साथ मेल न खाते हों, जैसा कि आम बैठकों में कंपनी द्वारा उल्लिखित किया गया हो लेकिन आम बैठकों में कंपनी द्वारा बनाया गया कोई विनियम निदेशकों के किसी ऐसे पूर्व कार्य को अवैध नहीं करेगा जो कि वैध होता, यदि ऐसा विनियम न बनाया गया हो। [एसटीसी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद सं॰ 80 में ब्यौरा]

3.5 निदेशक मंडल समय-समय पर अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों आदि को ऐसी शक्तियाँ सौंप सकता है जो इन अंतर्नियमों के तहत बोर्ड द्वारा प्रयोग करने योग्य हों, जो यह आवश्यक समझता हो, उन्हें फिलहाल के लिए और ऐसे उद्देश्य के लिए तथा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो यह उचित समझता हो, और यह ऐसी शक्तियाँ या तो समानांतर अथवा इस बाबत निदेशकों की सभी अथवा किसी भी शक्ति को छोड़कर अथवा के स्थान पर ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है और समय-समय पर ऐसी सभी अथवा किसी भी शक्ति(यों) को वापिस ले सकता है, बदल सकता है। [एसटीसी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद सं॰ 79(8) में ब्यौरा]

3.6 निदेशकगण/बोर्ड के पास आगे, नीचे संक्षेप में उल्लिखित मामलों के लिए विशेष शक्तियाँ होंगी। [एसटीसी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद सं॰ 81 में ब्यौरा]

- संपत्ति अर्जित करना,
- पूँजीगत प्रकृति के कार्य हाथ में लेने को प्राधिकृत करना,
- संपत्ति हेतु ऋणपत्रों आदि में भुगतान करना,
- गिरवीनामों द्वारा संविदाओं को प्राप्त करना,
- पदों का सृजन और अधिकारियों की नियुक्ति आदि करना,
- न्यासी नियुक्त करना,
- कार्रवाई करना और बचाव करना, आदि
- मध्यस्थता के लिए भेजना,
- रसीद देना,
- स्वीकृति आदि प्राधिकृत करना,
- अधिवक्ता नियुक्त करना,

- धनराशि को निवेश करना,
- क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिभूति देना,
- प्रतिशत कमीशन देना,
- बोनस देना,
- उपनियम बनाना,
- भविष्य निधि का सृजन करना,
- स्थानीय बोर्ड की स्थापना करना,
- संविदा आदि करना,
- शक्तियों का उप विभाजन करना

4.0 बोर्ड की बैठकों की संख्या

बोर्ड प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा प्रति वर्ष कम से कम ऐसी 4 बैठकें होंगी। आगे, किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतर तीन माह से अधिक नहीं होगा।

5.0 बोर्ड समितियाँ

कोई निदेशक 10 समितियों से अधिक का सदस्य नहीं होगा या उन सभी कंपनियों में से पाँच से अधिक कंपनियों में अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा जहाँ वह निदेशक है। इससे आगे, यह प्रत्येक निदेशक के लिए अनिवार्य होगा कि वह प्रतिवर्ष अन्य कंपनियों में अपनी समिति की स्थिति के विषय में कंपनी को सूचित करे तथा जब कभी परिवर्तन हो, उनकी सूचना दे।

स्पष्टीकरण:

(क) किसी निदेशक के कितनी समितियों में कार्य करने की सीमा को मानने के आशय से सूचीबद्ध अथवा गैर-सूचीबद्ध सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ शामिल होंगी।

(ख) इस खंड के तहत सीमा को मानने के उद्देश्य हेतु केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर ही विचार किया जाएगा।

6.0 व्यवसाय आचारण और नैतिकता की आचार संहिता

बोर्ड, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचारण एवं नैतिकता की आचार संहिता निर्धारित करेगा। संहिता को परिचालित किया जाएगा तथा इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड कराया जाएगा। [दिनांक 15.12.2010 को हुई बोर्ड बैठक सं॰ 567 में पहले ही अनुमोदित]

बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में इस संबंध में इसके मुख्य कार्यपालक की एक घोषणा शामिल होगी।

7.0 **कानूनों का अनुपालन**:

बोर्ड, कंपनी पर लागू, कंपनी द्वारा तैयार सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्टों के साथ-साथ गैर-अनुपालन को मामलों को ठीक करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा।

8.0 **जोखिम प्रबंधन**:

बोर्ड, कार्पोरेट तथा प्रचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन का एकीकरण और समनुरूपता सुनिश्चित करेगा तथा यह भी देखेगा कि जोखिम प्रबंधन को एक सामान्य व्यवसाय व्यवहार के भाग के रूप में लिया जाता है, न कि निश्चित समय में एक अलग कार्य के रूप में।

9.0 **बोर्ड के कार्य**:

निदेशक मंडल कानून के तहत यथापेक्षित मामलों पर विचार करने, तथा प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यनिष्पादन, इसकी योजनाओं तथा संभावनाओं के साथ-साथ कंपनी जिन मुद्दों से जूझ रही है, उन पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। प्रबंधन के सामान्य पर्यवेक्षण के अलावा बोर्ड निम्नलिखित पर विचार करेगा:

(i) वार्षिक प्रचालन योजनाएँ और बजट तथा अन्य अद्यतन मुद्दे

(ii) पूँजीगत बजट और अन्य अद्यतन मुद्दे

(iii) कंपनी और इसके प्रचालन प्रभागों के तिमाही परिणाम या व्यवसाय खंडों के तिमाही परिणाम।

(iv) लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

(v) मुख्य वित्त अधिकारी तथा कंपनी सचिव की नियुक्ति या निष्कासन सहित बोर्ड स्तर से ठीक निचले स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती तथा पारिश्रमिक पर सूचना।

(vi) कारण बताओ, माँग, मुकदमे के नोटिस तथा जुर्माना नोटिस जो प्रत्यक्ष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

(vii) घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, भयंकर घटनाएँ, कोई भौतिक कचरा या प्रदूषण समस्याएँ।

(viii) कंपनी को या उसके द्वारा वित्तीय देयताओं में कोई प्रत्यक्ष चूक, या कंपनी द्वारा बेचे गए माल का पर्याप्त गैर-भुगतान।

(ix) कोई मामला जिसमें ठोस प्रकृति की लोक अथवा उत्पाद देयता दावे, कोई निर्णय अथवा आदेश जिससे कंपनी के आचरण पर आक्षेप हुआ हो अथवा किसी अन्य उद्यम के बारे में लिया गया विपरीत रूख जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो, शामिल हैं।

(x) किसी संयुक्त उद्यम अथवा साझा करार का ब्यौरा।

(xi) लेनदेन जिनमें सद्भावना ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपत्ति की बाबत भारी भुगतान शामिल हैं।

(xii) महत्त्वपूर्ण श्रम समस्याएँ और उनके प्रस्तावित समाधान। वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने आदि जैसे मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के विषय में कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति।

(xiii) निवेशों, अनुषंगियों, परिसंपत्तियों के भौतिक स्वरूप की बिक्री, जो सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया पर नहीं है।

(xiv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रकटनों का तिमाही ब्यौरा तथा प्रतिकूल विनिमय दर प्रवाह के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि भौतिक हों।

(xv) किसी नियामक सांविधिक या सूचीयन अपेक्षाओं तथा शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभांश का भुगतान न होना, शेयर अंतरण में देरी आदि का गैर-अनुपालन।

10.0 निदेशकों के सामान्य कर्त्तव्य

बोर्ड के सदस्यों से सद्भावना के साथ और ध्यानपूर्वक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे सूचित किए गए के आधार पर अपना निर्णय कर सकें, जो कि वे औचित्यपूर्ण रूप से तथा ईमानदारी से कंपनी के सर्वोच्च हित में मानते हैं।

10.1 सांविधिक कर्त्तव्य

निदेशक, कंपनी द्वारा सभी लागू सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके लिए, बोर्ड इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षा करेगा कि उसकी या इसकी उप समिति की सुविधा के लिए यथापेक्षित समर्थित दस्तावेजों सहित सभी संगत रिपोर्टें, प्रमाणपत्र उसके समक्ष रखे जाएँ। यदि प्रबंधन की ओर से कोई उल्लंघन या चूक पाई जाती है तो बोर्ड, प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई तथा प्रभावी अनुपालन करने हेतु आवश्यक निर्देश दे सकता है।

10.2 न्यासीय कर्त्तव्य

निदेशकों का पद 'विश्वास का पद' समझा जाता है। बोर्ड के समग्र रूप से तथा निदेशकों के व्यक्तिगत रूप से एक घटक के रूप में कंपनी के प्रति तथा इसके पणधारकों के प्रति निश्चित न्यासीय उत्तरदायित्व हैं। निदेशकों से, कंपनी के ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसरण में कंपनी के सभी शेयरधारकों/पणधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। निदेशकों के न्यासीय कर्त्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

किसी विवाद के बिना कार्य करने के लिए निष्ठा का कर्त्तव्य और हमेशा कंपनी के हितों को प्रत्येक निदेशक के हितों से आगे रखना।

निदेशकों को, कंपनी की ओर से या उसके साथ व्यवहार में किसी वित्तीय या व्यक्तिगत हित से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि किसी मौजूदा परिस्थिति में बच पाना अव्यावहारिक हो तो ऐसे लेनदेन असंबंधित निदेशकों द्वारा इस प्रकार अनुमोदित हों, जो लेनदेन को समस्त रूप से निरस्त

करने के असंबंधित निदेशकों के अधिकार सहित, उचित दूरी का संबंध सुनिश्चित करता हो। स्वतंत्र निदेशकों को हित-संघर्ष के लेनदेनों की आलोचनात्मक ढंग से समीक्षा करनी चाहिए।

समझपूर्वक निर्णय लेने के लिए सावधानी का कर्त्तव्य

सावधानी का कर्त्तव्य माँग करता है कि निदेशकों को कंपनी के कार्यों की देखरेख करने में विशेष सावधानी और परिश्रम से कार्य करना चाहिए। निदेशकगण सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपना दायित्व निभाने में विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। निदेशकों से सभी बोर्ड, सामान्य और समिति की बैठकों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

कंपनी की संहिताओं तथा नीतियों और शासन के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुसार सद्भाव से कार्य करना।

सद्भाव के कार्य में निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी के सर्वोत्तम हित में निर्णय सुनिश्चित करें।

11.0 बोर्ड के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले प्रकटन/घोषणाएँ

बोर्ड के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित प्रकटन/घोषणाएँ दी जानी हैं:

क्रम सं.	संदर्भ	विवरण	अवधि
1.	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 तथा 297	रूचि प्रकटन	बोर्ड में कार्यग्रहण करते समय; (तत्काल) जब कभी रूचियों में कोई परिवर्तन हो, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंतिम माह के दौरान (प्रतिवर्ष 31 मार्च से पहले)
2.	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 305	अन्य निदेशक-दायित्वों/समिति की सदस्यता के विवरण का प्रकटन	बोर्ड में कार्यग्रहण करते समय; (तत्काल) जब कभी विवरणों में कोई परिवर्तन हो; (ऐसे परिवर्तन से 20 दिनों के अंदर)

3.	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 308	कंपनी और उसकी अनुषंगियों में शेयरधारण का प्रकटन	बोर्ड में कार्यग्रहण करते समय; (तत्काल) जब कभी होल्डिंग (धारण) में कोई परिवर्तन हो;
4.	सूचीयन करार का खंड-49 तथा डीपीई के कार्पोरेट शासन दिशा-निर्देश 2010	व्यवसाय आचरण और नैतिकता की आचार संहिता के अनुपालन की वार्षिक अभिपुष्टि	प्रत्येक वित्त वर्ष के समापन के 30 दिनों के अंदर।

12.0 प्रत्येक निदेशक के दायित्व

12.1 पूर्णकालिक कार्यपरक निदेशक

क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्पोरेशन के प्रमुख कार्यपालक हैं तथा वे इसके बोर्ड और भारत सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। वे कार्पोरेशन के कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी हैं, जिससे कार्पोरेशन के निष्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो और इस प्रकार इसके कार्पोरेट लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

अध्यक्ष के रूप में, सीएमडी से निदेशक मंडल को नेतृत्व प्रदान करने, दीर्घावधि परिदृश्य पर धन केंद्रित रखने तथा यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बोर्ड, कंपनी की दिशा एवं रणनीति प्रभावी ढंग से तैयार तथा लागू करता है।

सीएमडी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी की रणनीतिक योजनाएँ तथा प्रचालन बजट बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्पोरेट उद्देश्यों के अनुसार हैं।

ख. निदेशक (वित्त)

निदेशक (वित्त), निदेशक मंडल के सदस्य हैं और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। वे संगठन के वित्त एवं लेखा कार्यों के पूर्ण प्रभारी हैं तथा वित्तीय नीतियाँ विकसित करने तथा बनाने के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में, वे कंपनी के सक्षम और लाभप्रद प्रचालनों में सांविधिक तथा कार्पोरेट उत्तरदायित्यों का प्रयोग करते हैं।

एक कार्यपरक निदेशक के रूप में वे उन्हें सौंपे गए वित्तीय प्रबंधन तथा लेखांकन के क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट कार्यों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं :-

(i) न्यूनतम लागत पर निधियों के प्रापण तथा उनके प्रभावी प्रयोग सहित ठोस कार्पोरेट और वित्तीय रणनीतियाँ विकसित करना।

(ii) बजट तैयार करने तथा रोकड़ प्रवाह नियंत्रित करने, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, कराधान और व्यय सहित वित्तीय प्रबंधन कार्यों का निदेशन।

(iii) वित्तीय संस्थाओं, नियामक प्राधिकरणों तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ संपर्क कायम रखना।

(iv) राजस्व तथा व्यय का शीघ्र और सही लेखांकन, लाभ व हानि लेखों तथा तुलनपत्र सहित कंपनी के वित्तीय लेखे तैयार करना तथा आंतरिक, सांविधिक तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा में सहयोग सुनिश्चित करना।

(v) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुरूप प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति।

ग. **निदेशक (विपणन)**

निदेशक (विपणन) निदेशक मंडल के सदस्य हैं और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। उनसे नए उत्पादों और बाजार की पहचान सहित उपयुक्त नीतियों, योजनाओं तथा रणनीतियों के प्रतिपादन तथा निष्पादन द्वारा अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू व्यापार के विकास तथा विस्तार की अपेक्षा की जाती है।

निदेशक के रूप में, वे सीएमडी द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे गए विशिष्ट वस्तुओं के व्यापार हेतु उत्तरदायी हैं।

कारोबार सहयोगियों का चयन करने में अपेक्षित परिश्रम सहित व्यापारिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते समय, उनसे सौंपे गए कार्यक्षेत्रों के संबंध में कारोबार तथा लाभप्रदता के मामले में निष्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा भी की जाती है।

वे अपने प्रभार के अधीन व्यवसाय लेनदेनों का समग्र रूप से मानीटरन करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

(घ) निदेशक (कार्मिक)

निदेशक (कार्मिक), निदेशक मंडल के सदस्य हैं और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। कार्मिक तथा प्रशासन के प्रमुख के रूप में, वे मानव संसाधन नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रतिपादन और निष्पादन, कर्मचारी संबंधों के सभी पहलुओं के प्रबंधन, एक सक्षम प्रशासनिक संरचना विकसित करने, स्टाफ की व्यवस्था/भर्ती, संगठन विकास, निष्पादन प्रबंधन, प्रशिक्षण, मुआवजा एवं हितलाभ प्रशासन तथा कर्मचारी परामर्श सेवा सहित निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं :-

- कर्मचारी-केंद्रित कंपनी संस्कृति विकसित करना जो गुणवत्ता, सतत सुधार, टीम-कार्य तथा उच्च निष्पादन पर बल देती है।

- व्यवसाय के लिए यथा अपेक्षित मानव संसाधन नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।
- संगठनात्मक विकास और कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सृजन करना।
- औद्योगिक सौहार्द बनाए रखना।
- प्रतिभा को आकर्षित करने और उसे रखने के लिए नीतियाँ बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना और प्रतिभाओं को उपयुक्त स्तर पर नियुक्त करना।
- सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन।
- सामान्य प्रशासन और विधि प्रभागों के कुशल संचालन हेतु उत्तरदायी।
- कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों का इष्टतम उपयोग।
- श्रम, संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित विभिन्न कानूनों का सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करना।

12.2 अंशकालिक शासकीय/सरकारी निदेशक

संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद सं. 79(4) के अनुसार, राष्ट्रपति को कंपनी के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्तियों को नामांकित करने का अधिकार है। अंशकालिक शासकीय निदेशक, बोर्ड की बैठकों तथा बोर्ड की अन्य समितियों, जहाँ वे बोर्ड द्वारा अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नामांकित होते हैं, की बैठकों में शामिल होते हैं, जब कभी ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं। बोर्ड में शामिल सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार के पक्ष को देखते हुए में विचार-विमर्श और निर्णय लेने में योगदान करेंगे और बोर्ड द्वारा समय-समय पर किए गए विचार-विमर्श तथा निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे।

12.3 अंशकालिक गैर सरकारी/स्वतंत्र निदेशक

ठोस कार्पोरेट शासन के लिए बोर्ड की स्वतंत्रता आवश्यक है, जैसा कि कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड की बैठकों तथा बोर्ड की अन्य समितियों, जहाँ वे बोर्ड द्वारा अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नामांकित होते हैं, की बैठकों में शामिल होते हैं, जब कभी ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं।

बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड के समक्ष लाए गए मुद्दों के बारे में जाँच, विचार-विमर्श तथा निर्णय करने में उद्देश्यपरकता तथा स्वतंत्रता का तत्व लाने और शेयरधारकों तथा अन्य सभी पणधारकों के हितों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयत्न करेंगे। चूंकि स्वतंत्र निदेशक, विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों से लिए गए प्रतिष्ठित व्यावसायिक होते हैं, इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य को रखते हुए निर्णय लेने तथा कार्पोरेट शासन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड द्वारा समय-समय पर किए गए विचार-विमर्श तथा लिए गए निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं।

कार्पोरेट शासन के सिद्धांत स्वतंत्र निदेशकों से समग्र रणनीति की समीक्षा करने, कंपनी के कार्य-निष्पादन की देखरेख करने, पणधारकों के विरोधी हितो को संतुलित करने तथा बोर्ड के निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करने की अपेक्षा रखते हैं। अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर बोर्ड को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र परिदृश्य प्रदान करना उनकी प्रमुख भूमिका है।

उपर्युक्त बोर्ड चार्टर में, प्रत्येक निदेशक के प्रमुख उत्तरदायित्वों, शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा भूमिका का उल्लेख है। तथापि, आगे विवरण हेतु समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधान, कंपनी के ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियम, कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों तथा सूचीयन करार के खंड 49 देखे जाएँ।